३३

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2021/61 (हस्तलिखित)

रतन लाल व रामप्यारी

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2021/61 श्री आर. एम. [illegible] ... श्री [illegible] बनाम [illegible]	
28.7.23	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व रेस्पोण्डेन्ट नं. 2 उपस्थित। माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर का पत्रांक: राम/न्यायिक/मुल्तवी/2022/4728/ अजमेर/18.11.2022/ 1801 दिनांक 10.07.23 प्राप्त हुआ तथा मण्डल के आदेश दिनांक 18.11.2022 की प्रति भी प्राप्त हुई। मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 18.11.2022 को प्रार्थना पत्र मुल्तवी को स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के समक्ष लम्बित अपील नं. 61/2021 उनवानी रतनलाल बनाम रामप्यारी को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में मुल्तवी किये जाने के आदेश दिये हैं। इसको पत्रावली सं. 17/2019 उनवानी रतनलाल बनाम रामप्यारी आदेश दिनांक 15.2.21 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलानुसार होकर नियम हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प दूद	

18
श्री आर. एम. लंगारोत एड. ने अपील पेश की। अपील बाद जॉच रिपोर्टिंग कर पेश हो। 25/3/21

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प दूदू

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर

कैम्प कोर्ट, दूदू जिला जयपुर राज0

राजस्व अपील संख्या 61/21
(2021/61)

1. रतनलाल पुत्र श्री खेतूराम जाति छीपा निवासी हरसौली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0

-- प्रार्थी/अपीलाण्ट

बनाम

1. रामप्यारी पत्नि स्व0 नाथूलाल जाति छीपा निवासी हरसौली तहसील दूदू हाल निवासी आदर्श कॉलोनी बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0 (फौत)
2. भैरूलाल दत्तक पुत्र नाथूलाल जाति छीपा निवासी हरसौली तहसील दूदू हाल निवासी आदर्श कॉलोनी बगरू जिला जयपुर राज0
3. तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर राज0

-- रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरुद्ध आदेश माननीय उपखण्ड अधिकारी दूदू
दिनांक 15/02/2021, प्रार्थना-पत्र संख्या 17/2019
उनवानी रतनलाल वगै0 बनाम रामप्यारी वगै0

श्रीमानजी,

श्री रामसिंह
पत्रावलियाँ राजस्व अपील
प्राधिकारी जयपुर भिजवायें

रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

10 JUL 2023

कमांक : राम/न्याय/अपील/मुन्तकिली/2022/4728/अजमेर/18.11.2022

दिनांक

1801

10 JUL 2023

प्रेषकः

निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

निमित्त– राजस्व अपील प्राधिकारी – Ajmer
अजमेर

विषयः–

रतनलाल

बनाम

राजेन्द्र सिंह शेखावत

224
13/7/23

विरूद्व निर्णयः– राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
दिनांकः–

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय द्वारा निर्णय लिये जाने पर आपके न्यायालय की पत्रावली संख्या एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सख्यां X तथा इस न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कर पालनार्थ प्रेषित है।

मूल पत्रावलियां ~~एक~~ Nil—
निर्णय दिनांक 18.11.2022 की प्रमाणित प्रति

निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

कमांक : सम/ 10 JUL 2023 दिनांकः
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है–

1. राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर को निर्णय दिनांक 18.11.2022 की प्रमाणित प्रति

निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

/2418

1

केवल राजकीय प्रयोजनार्थ

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

जयपुर/मुन्तकिल प्रार्थना पत्र/टी.ए. संख्या 4728/2022

रतनलाल पुत्र खेतूराम जाति छीपा निवासी हरसौली तहसील दूदू जिला जयपुर।

---प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर।
2. भैरूलाल दत्तक पुत्र नाथूलाल जाति छीपा निवासी हरसौली तहसील दूदू हाल निवासी आदर्श कॉलोनी बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, पीठासीन अधिकारी, विद्वान राजस्व अधिकारी अजमेर बाबत् अपील सं0 61/2021 बउनवान रतनलाल बनाम रामप्यारी को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत्।

कृ.प्रा.प.फा. अभिभाषक श्री रामप्रकाश के द्वारा आज दिनांक 22.8.22 पूर्वान्ह/अपरान्ह को प्रस्तुत की गई है। रीडर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सत्य प्रतिलिपि
निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

COMPARED BY

237

केवल राजकीय प्रयोजनार्थ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुन्तकिली / टीए / 2022 / 4728 / जयपुर रतनलाल बनाम राजेन्द्र सिंह शेखावत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल-पीठ

श्री भंवर सिंह साण्दू, सदस्य

उपस्थित :-
श्री शान्ति प्रकाश ओझा, अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित,

दिनांक : 18-11-2022

आदेश

1- यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर बाबत अपील संख्या-61/2021 उनवानी रतनलाल बनाम रामप्यारी को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

2- अभिभाषक प्रार्थी को मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पर सुना गया एवं पीठासीन अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रेषित पैरावाईज टिप्पणी का भी अवलोकन किया गया।

3- राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपनी पैरावाईज टिप्पणी में यह कथन किया है कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश के समय पीठासीन अधिकारी रहे हैं एवं अपीलाधीन आदेश पीठासीन अधिकारी रहते हुये पारित किया गया है तथा वर्तमान में राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर में पदस्थापित है। पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुये प्रकरण किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित है।

सत्य प्रतिलिपि
निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

4- अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में

COMPARED BY

-2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	केवल सरकारी प्रयोजनार्थ मुन्तकिली / टीए / 2022 / 4728 / जयपुर रतनलाल बनाम राजेन्द्र सिंह शेखावत	
	लम्बित अपील संख्या-61/2021 उनवानी रतनलाल बनाम रामप्यारी को राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि उनके न्यायालय में लम्बित उक्त अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में प्रेषित करावें। आदेश की प्रति दोनों न्यायालयों में प्रेषित की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। 18/11/22 (भंवर सिंह सान्दू) सदस्य COMPARED BY	
सत्य प्रतिलिपि निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर		